संख्या– 620 /XX(5)/05–18स्व0सं0से0/2004

प्रेषक,

एस0राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

गृह अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर, 2005

विषयः– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों/उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1010/XX(3)/04–18स्व0सं0से0/ 2004, दिनांक 29 अक्टूबर,2004 के संबंध में कतिपय भ्रांतियों एवं कठिनाइयों को दूर किये जाने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं दून स्वतंत्रता सेनानी समिति की ओर से प्राप्त प्रकरणों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों/उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने किये के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को तथा मृत्यु के बाद उनकी विधवा को परिचय पत्र/डुप्लीकेट परिचय पत्र पूर्व की भॉति उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–137 पी0पी0/1991,दिनांक 23.3.1991 के संबंध में स्पष्ट निर्देशानुसार ही जारी किये जाय ।

(2) उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर,2004 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/उत्तराधिकारियों द्वारा परिचय पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर उनकी जॉच अवश्य करा ली जाय और जॉच के लिए अधिकतम एक माह की समय सीमा निर्धारित की जाय । निर्धारित समय सीमा के अन्दर जॉच एवं संस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदक का कथन सही है और तदनुसार जिलाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाय । ऐसा निर्णय हो जाने के बाद यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आता है तो, जिस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के पास जांच एवं संस्तुति अथवा आवेदन–पत्र लम्बित था उसके विरूद्ध जिलाधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करेंगे ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके आश्रितों/उत्तराधिकारियों की सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायतें समाप्त हो जांय ।

(3) जिलाधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके आश्रितों/उत्तराधिकारियों को जारी किये जाने वाले परिचय पत्र का प्रारूप उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नियमानुसार स्वयं निर्धारित करेंगे ।

(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नियमावली के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/उत्तराधिकारियों की श्रेणी में उसकी पत्नी या विधवा(यदि महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसके पति या विधुर), अविवाहित पुत्री

या उस पर आश्रित माता–पिता आश्रित विधवा पुत्रवधू (अवयस्क) पुत्र, आश्रित बहन तथा आश्रित पोता जिसके पिता जीवित न हों,पोती तथा विधवा पुत्री की पुत्री को परिभाषित किया गया है ।

अतएव कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(एस0 राजू)
सचिव ।

संख्या– 620 (1)/XX(5)/05–18स्व0सं0से0/2004,तदिदनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड,देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,उत्तरांचल शासन ।
4– श्री डूँगर सिंह,उपाध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद, पिलिग्रम लौज, मल्लीताल, नैनीताल ।
5– श्री जुगल किशोर अरोड़ा, उपाध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद, 88–कांवली रोड,देहरादून ।
6– श्री मूलचन्द गुप्ता,अध्यक्ष, दून स्वतंत्रता सेनानी समिति; 6 फालतू लाइन,सरस्वती प्रेस,देहरादून ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव ।